न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 01/2018 – निगरानी

1. मगनीराम पुत्र श्रीराम जाट
   निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर
2. शिवलाल पुत्र श्रीराम जाट
   निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर
3. हरिशंकर पुत्र सोहन लाल जाट
   निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर
4. अर्जुन पुत्र हीरा लाल जाट
   निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. देवी लाल पुत्र भंवर लाल जाट
   निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर
2. ग्राम पंचायत नारायण खेडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत नारायण खेडा पंचायत समिति रायपुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बमामले ग्राम पंचायत नारायण खेडा पटटा सं. 023 दिनांक 20.08.2015 को निरस्त करने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मुकेश जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री एम.एल. बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से
3. श्री संजय सेन, राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को वाके आबादी हल्का आम्बा का खेडा ग्राम पंचायत नारायणखेडा में एक भूखण्ड नपती 22.5 बाई 60 फीट कुल 1350 वर्गफीट जिसके पडौस पूर्व में भंवरलाल/जोरू जाट, पश्चिम में पडत आबादी, उत्तर में अमरचन्द, रतनलाल, जशपाल, भंवर/शिव जाट, दक्षिण में आम रास्ता का आबादी भूमि का रियायत दर/निशुल्क आवंटन का पटटा सं. 23 जारी किया गया, जो अवैध है। गैर निगराकार सं. 01 न तो बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति है, न किसी प्रकार से गरीब है। बल्कि गैर निगराकार सं.01 के पास करीब 15–20 बीघा सिंचित भूमि है तथा उसके पास उक्त भूखण्ड के अलावा दो मंजिला मकान भी बना हुआ है। रियायती दर/निशुल्क भूखण्ड बीपीएल परिवार व गरीब व्यक्तियों को ही जारी किये जो सकते हैं। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में बहुमूल्य भूमि का कोढियों के भाव में पटटा जारी किया हैं , जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य हैं । गैर निगराकार 02 ने

उक्त पटटा जारी कराने हेतु किसी प्रकार की पात्रता की जांच नही की गयी व न ही पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की सार्वजनिक स्थान पर आपत्ति चस्पानगी की गयी। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा गैर निगराकार सं. 02 को पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिये थी, जो नही कर उक्त पटटा जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी उक्त पटटा सं. 23 दिनांक 05.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे व भूमि को कब्जे सरकार लिया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2018 को पंजीकृत की गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को वाके आबादी हल्का आम्बा का खेडा ग्राम पंचायत नारायणखेडा में एक भूखण्ड नपती 22.5 बाई 60 फीट कुल 1350 वर्गफीट जिसके पडौस पूर्व में भंवरलाल/जोरू जाट, पश्चिम में पडत आबादी, उत्तर में अमरचन्द, रतनलाल, जशपाल, भंवर/शिव जाट, दक्षिण में आम रास्ता का आबादी भूमि का रियायत दर/निशुल्क आवंटन का पटटा सं. 23 जारी किया गया, जो अवैध है। गैर निगराकार सं. 01 न तो बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति है, न किसी प्रकार से गरीब है। बल्कि गैर निगराकार सं.01 के पास करीब 15–20 बीघा सिंचित भूमि है तथा उसके पास उक्त भूखण्ड के अलावा दो मंजिला मकान भी बना हुआ है। रियायती दर/निशुल्क भूखण्ड बीपीएल परिवार व गरीब व्यक्तियों को ही जारी किये जो सकते हैं। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में बहुमूल्य भूमि का कोढियों के भाव में पटटा जारी किया हैं, जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगराकार 02 ने उक्त पटटा जारी कराने हेतु किसी प्रकार की पात्रता की जांच नही की गयी व न ही पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की सार्वजनिक स्थान पर आपत्ति चस्पानगी की गयी। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा गैर निगराकार सं. 02 को पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिये थी, जो नही कर उक्त पटटा जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी उक्त पटटा सं. 23 दिनांक 05.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे व भूमि को कब्जे सरकार लिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि निगराकारान् ग्राम आम्बा का खेडा के जागरूक व्यक्ति नही हैं, बल्कि निगराकार सं. 01 ग्राम आम्बा का खेडा की ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का अतिक्रमी हैं और निगराकार सं. 02 से लगायत 04 ये सभी अतिक्रमण करने में सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं। इसकी शिकायत ग्रामवासियान ने ग्राम पंचायत में की थी। गैर निगराकार सं. 01 गरीब काश्तकार है जिसके पास रहने हेतु स्वयं का मकान नहीं हैं। इसलिए उसके द्वारा दिनांक 20.08.2015 को ग्राम पंचायत नारायण खेडा के समक्ष रियायती दर पर भूखण्ड लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर विधिवत् जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर पत्रावली संधारित कर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का पटटा जारी किया गया। निगराकार को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार लोकस स्टेण्डाई भी नही हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

गैर निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि

निगराकार सं. 01 ने ग्राम पंचायत की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया तथा आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पटटा सं. 18 दिनांक 05.11.2015 को निशुल्क दी गयी भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया जिसकी शिकायत लिखित में दिनांक 05.05.2016 को ग्रामवासियान द्वारा पंचायत में की गई। इस शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पत्रावली कायम की गई व दिनांक 01.06.2016 को जरिये पुलिस सहायता से अतिक्रमियों का अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का पटटा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया है। जो पूर्णतया वैध हैं। निराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गैर निगराकार सं. 01 ने सरपंच ग्राम पंचायत नारायणखेडा को रियायती दर से आवासीय भूखण्ड दिलवाने की प्रार्थना की है। सरपंच ग्राम पंचायत नारायणखेडा ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 158(1) के तहत गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में आवासीय भूखण्ड रियायती दर 5/–रू. प्रतिवर्गमीटर से आवंटित किये जाने का निर्णय दिनांक 05.11.2015 को निर्णय लिया जाकर 23 ग में पटटा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन इस प्रकार हैं –

(1) पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल /गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158(1) के तहत गैर निगराकार सं. 01 को ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा रियायती दर से आवासीय भूखण्ड का आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नारायणखेडा खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत नारायणखेडा पटटा सं. 23 दिनांक 05.02.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नारायणखेडा पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)